भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2378
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसान क्रेडिट कार्ड योजना
2378. श्री मुरसोली एस. :

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ख) तंजावुर जिले में मछुआरों और किसानों को ऐसे कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना वर्ष 1998 में किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और बैंकों द्वारा इसे एकसमान अपनाए जाने के लिए आरंभ की गई थी ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि इनपुट आसानी से खरीदने और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी निकालने के लिए केसीसी का उपयोग कर सकें। केसीसी योजना के लिए दिशानिर्देश समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 04 जुलाई, 2018 को केसीसी योजना पर आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक केसीसी के माध्यम से फसल ऋण देते हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने 04 फरवरी, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से पशुपालक किसानों और मत्स्य पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार किया है।

पात्रता
- किसान – व्यक्ति-विशेष/संयुक्त उधारकर्ता किसान, जिनके पास स्वामित्व हैं;
- किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार किसान;
- किरायेदार किसानों, बटाईदार किसानों आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)।

(ख) तंजावुर जिले में मछुआरों और किसानों को वितरित किए गए केसीसी की कुल संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम	केसीसी धारकों की संख्या	**क्रेडिट बैलेंस (करोड़ रु. में)**
किसान	181269	2115.72
मछुआरा	1130	17.47

*****